न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

सं. 75/2024
सीएमएस : 2024/202

1. भागीरथ पुत्र श्री गणपतराम जाति बावरी साकिन 12 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.। —:प्रार्थी

बनाम

1. गणपतराम पुत्र स्व. श्री हरीराम जाति बावरी साकिन 12 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील रायसिंहनगर श्रीगंगानगर।
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री शम्भूराम जाति बावरी साकिन 23 ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:अप्रार्थीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम</u>

तारीख रजू 22.07.2024

उपस्थितअधिवक्तागण

1. श्री रविन्द्र बिश्नोई प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री अमरचन्द्र डागला अप्रार्थी सं. 1—3 अधिवक्ता।

दिनांक :—27.03.2025

—: <u>निर्णय</u> :—

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075—2078 वाके चक 12 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 16/13 में पत्थर नं. 188/340 मु.नं. 36 के कि.नं. 1 ता 25 की कुल खाता योग 6.325है. कमाण्ड—अकमाण्ड खातेदारी प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता अप्रार्थी गणपतराम के नाम दर्ज है जो अप्रार्थी सं. 1 की स्वअर्जित नही होकर प्रार्थी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 के दादा स्व. श्री हीराराम से विरास्तन प्राप्त होने से जद्दी जायदाद(पैतृक सम्पति) की परिभाषा में आती है प्रार्थी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 अप्रार्थी सं. 1 की बैध संतान होने से उन्हे जन्म से ही विवादित रकबा में पैतृक सम्पति होने से हक—हकूक व अधिकार निहित होकर तदनुसार वे अपने भाग के रकबा पर भी काबिज काश्त अप्रार्थी सं. 1 के साथ चले आ रहे है इस प्रकार विवादित रकबा पैतृक सम्पति (जद्दी जायदाद) होने से प्रार्थी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 एवं अप्रार्थी सं. 1 का प्रत्येक एक का 1/6, 1/6 भाग बनता है ओर तदनुसार प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने—अपने भाग पर काबिज काश्त है तथा प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज विवादित भूमि में अपना अपना 1/6—1/6 अनुसार कुल 5/भाग अर्थात 5.271 है. रकबा पर खातेदारी हक—हकूक व अधिकारों को घोषित करवा पाने के विधिक अधिकारी है। प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण अप्रार्थी सं. 1 से निरन्तर अनुरोध करते रहने कि विवादित रकबा पर उसके खातेदारी हक—हकूक व अधिकारी को स्वीकारते हुये अभिलेखों में भूमि उनके नाम से अमलदरामद करवाने की अपेक्षित कार्यवाही में सहयोग देवे हुवे विवादित रकबा को खुर्द—बुर्द करने से बाज व ममनू रहे तो वह प्रथमतः टालमटोल पश्चात अंततः दिनांक 07.07.2024 को बुकाम 12 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर में उनकी किसी बात को मानने से स्पष्ट रूप से इन्कार होकर धमकी दी कि विवादित रकबा अप्रार्थी सं. 1 के अकेले के नाम से दर्ज होने का बेजा नाजायज फायदा उठा प्रार्थी आदि को विवादित रकबा में उनके पैतृक हिस्सा से वंचित करते हुये किसी अन्य को [illegible] तरित कर कब्जा सुपुर्द करेगा, इसलिये प्रार्थी को अपने विधिक अधिका[illegible]क्षा व वांछित अनुतोष व व्यादेश प्राप्ति के लिये माननीय न्या[illegible]। वाद के निस्तारण में समय लगने की संभावना है अगर [illegible] अप्रार्थी स[illegible]पने उक्त अवैधानिक व गैरकानूनी कृत्य में कामयाब हो [illegible] ही फोत जावेगा और प्रार्थी के विधिक अधि[illegible]फी होगी, अन्याय हो[illegible] अपूर्णिय क्षति होगी, मुकदमाबाजी बढ़ेगी, अपव्यय होगा [illegible]सबसे होने वाले नुकसान मुद्राओं में नहीं आंका जा सकेगा। इसलियें प्रार्थी वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:05:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

विरूध अस्थाई व्यादेश पाने का विधिक अधिकारी है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। उपरोक्त प्रकट तथ्यों से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अगर दौराने बाद अप्रार्थी अपने उक्त अवेधानिक व गेरकानूनी कृत्य में कामयाब हो गया तो उससें वाद का मकसद ही खत्म हो जावेगा ओर प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा, गेरइंसाफी होगी, अन्याय होगा, अपूर्णीय क्षति होगी, मुकदमाबाजी बढ़ेगी, अपव्यय होगा जिन सबसे होने वाले नुकसान को मुद्राओं में नहीं आंका जा सकेगा। इसिलयें प्रार्थी अस्थाई व्यादेश पाने का विधिक अधिकारी है। अन्य आधार वरवक्त बहस अर्ज किये जायेगें। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट बाबत अस्थाई व्यादेश मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर ता:फैसला मूल वाद प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूध इस आश्य का अस्थाई व्यादेश पारित फरमाया जावे कि वह विवादित भूमि वाके चक 12 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 16/13 में पं.नं. 188/340 मुरब्बा नं. 36 के कि.नं. 1 ता 25 की कुल खाता योग 6.325 है. कमाण्ड अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि को स्वयं या अन्य के माध्यम से किसी प्रकार से किसी अन्य को रहन, बेय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने से तथा प्रार्थी आदि को जबरन– बलपूर्वक–विधिविरूध तरीके से बेदखल करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

2. प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से श्री अमरचन्द्र डागला अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से अन्य भूमि के अलावा वाके चक 12 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 188/340 मु.नं. 36 की 6.325 हे. कमाण्ड–अनकमाण्ड के अलावा पं.नं. 187/340 मु.नं. 35 की 6.325 है. कमाण्ड अनकमाण्ड मय खाला कुल 12.650 है. कमाण्ड–अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि थी मिन अप्रार्थी के दो पुत्र प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादी सं. 3 मुनीराम व तीन पुत्रियां तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 परमेश्वरी–पार्वती व चन्द्रकला कुल 5 संतान है। अप्रार्थी संख्या 1 व्योवृद्व आयु का होने से समस्त भूमियों की काश्त व सार–संभाल की व्यवस्था करने में उसे दिक्तते व परेशानियां थी प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिलाये विश्वास पर मिन अप्रार्थी सं. 1 व उसकी धर्मपत्नी आश्वस्त हो गये। तत्पश्चात दोनों पुत्रों प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादी सं. 3 मुनीराम ने मिन अप्रार्थी सं. 1 को अपने विश्वास में लेते हुये विवादित भूमि को छोड़कर शेष जमीन की देखभाल व व्यवस्था के लिये कचहरी व बैंक इत्यादि में कागजी कार्यवाही के लिये अप्रार्थी सं. 1 को बार–बार ना आना पड़े इस संबंध में अधिकार पत्र लिखवाने की आड़ में प्रार्थी ने अन्य भूमि के अलावा वाके चक 12 एस.ए.डी. तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नं. 187/340 मुरब्ब नं. 35 के कि.नं. 1–2–9–10–11 ता 15–21–22 प्रत्येक सालम, 3 व 8 प्रत्येक 0.126 है. व 23 की 0.127 है. कुल 3.162 हे. कमाण्ड मय खाला जरिये पंजीकृत दस्तावेज दान–पत्र दिनांक 22.05.2012 एवं इस मुरब्बा की शेष रही भूमि कि.नं. 4 ता 7, 16 ता 20, 2 व 25 प्रत्येक सालम–सालम, 3 मे 0.127है., 8 में 0.127 है., 23 में 0.126 है. कुल 3.163 है. जरिये पंजीकृत दस्तावेज दान–पत्र दिनांक 22.05.2012 को तरतीबी प्रतिवादी सं. 3 ने अपने पक्ष में अतरित करवा ली। प्रार्थी कुछ अरसा से मिन अप्रार्थी सं. 1 व उसकी धर्मपत्नी व बहनों से के प्रति अपने कर्जा बेवाकी से भी इन्कार होते हुये विवादित भूमि से भी जबरन, बलपूर्वक व विधिविरूध तरीके से बेदखल कर हथियाने की धमकिया देना लगा और उक्त वास्तविक व सही तथ्यों को छिपाते हुये माननीय न्यायालय को गुमराह कर वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिए प्रकरण माननीय न्यायालय पेश किया है इस प्रकार प्रार्थी कतेई सद्भावी [illegible] में आया है और उसके विरूध अलग से उसके वक्त अवेधानिक व [illegible] कृत्य के लिये कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए प्रार्थी का [illegible] वाद [illegible] निरस्ती के होने से प्रार्थना पत्र दृष्टया ही नाकाबिल [illegible] है। विवादि[illegible] को बतौर बहस पैतृक सम्पति मान भी लिया जावे तो [illegible] 1.054 है होगा, जबकि प्रार्थी मिन अप्रार्थी से मि[illegible] अज्ञानता में वर्णित भाग से कही अधिक वाके चक 12 एस.ए.डी. तहसील रायसिंह[illegible] के पं.नं. 187/340 मु.नं. 35 के कि.नं.द 1–2–9–10–11 ता 15–21–22 प्रत्येक सालम, 3 व 8 प्रत्येक 0.126 है. व

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:05:52 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

23 की 0.127 है. कुल 3.162 है. कमाण्ड मय खाला नहरी व अन्य चक में भी करीब 3.795 है. बारानी भूमि अपने पक्ष में अंतरित करवा ली है। मगर प्रार्थी ने अपने प्रकरण में कही भी इस बारे में न तो उल्लेख किया ना ही कोई अभिकथन कर माननीय न्यायालय को गुमराह करने की कुचेष्टा कर वांछित अनुतोष पाने का प्रयास किया, प्रार्थी कानून न तो वाद लाने का अधिकारी ह ैना ही उसे कोइ वाद कारण हासिल है ना ही उसे कोई बिनाये दावा बिनाय मुखासमत हासिल होता है इसलिये प्रार्थी का मूल वाद काबिल निरस्ती के होने से प्रार्थना पत्र दृष्टया ही नाकाबिल चलने के है। प्रार्थी सद्भावी नहीं है उसने प्रकरण मिथ्या वा आधारहीन तथ्यों पर मन अप्रार्थी को नाहक हेरान परेशान करने व नुकसान पहुचाने के आशय से पेश किया है जो काबिल निरस्ती के है ओर मिन अप्रार्थी प्रार्थी से विशेष हर्जाना कम से कम 10 हजार रूपये पाने का अधिकारी ह ैअतः जवाब प्रार्थना पत्र मय हल्मनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मोजूदा स्तर पर मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जाकर खर्चा जवाबदेही व विशेष हर्जाना मिन अप्रार्थी को प्रार्थी से दिलाया जावे। प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.01.2025 को प्रार्थी भागीरथ द्वारा प्रार्थना पत्र आ. 1 नि. 10 व 151 सीपीसी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आ. 1 नि. 10 धारा 151 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया गया। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री अमरचन्द्र डागलां अधिवक्ता उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि चक 12 एस.ए.डी. के मुरब्बा नं. 36 के कि.नं. 16 में 0.249 है. कमाण्ड भूमि वाद दायरी से पूर्व ही घरेलू जरूरीयात के लिये रूपयों की आवश्यकता होने पर अप्रार्थी गणपतराम ने वादी व अन्य वारिसान के ज्ञान व जानकारी में पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करते हुये मिन अप्रार्थी को समस्त हितो व अधिकारों सहित जरियें पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा 08.07.2024 अंतरित कर कब्जा भूमि मय पानी सुपुर्द किया, जिस पर तब से वर्तमान तक बतौर सद्भावी केता मिन अप्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है ओर मिन अप्रार्थी को ही उक्त कयशुद्वा भूमि पर बतौर सद्भावी केता खातेदारी हक–हकूक व अधिकार प्राप्त है बतौर प्रार्थी कतेई सद्भावी नही ना ही क्लीन हेण्ड से न्यायालय में आया है। विस्तृत तथ्य आगामी मदों के जवाब व अतिरिक्त आपतियों में दर्ज किये जा रहे है जिन्हे इस मद के जवाब के रूप में पढ़ा व समझा जावे। उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 की ही फसल बीजी हुई व खड़ी है और मिन अप्रार्थी कयशुद्वा विवादित रकबा को हरप्रकार से उपयोग–उपभोग कर पाने का विधिक अधिकार रखता है। प्रार्थी अनावश्यक विवाद पैदा कर रहा है प्रकट तथ्यों से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू मिन अप्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में प्रमाणित होने से प्रार्थी का वाद मकसदहीन व ओचित्यहीन होने व वाद लाने के कानूनी अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी अस्थाई व्यादेश पाने का कतई विधिक अधिकरी नहीं है अन्यथा मिन अप्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा व गेरइंसाफी होगी जिन सबसे होने वाले नुकासान को मुद्राओं में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थी के कोई हक व अधिकार विवादित रकबा में निहित नहीं होने से वह अस्थाई व्यादेश पाने का हकदार नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 3 ने अतिरिक्त आपतियों में अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करते हुए मिन अप्रार्थी को समस्त हितों व अधिकारों सहित जरियें पंजीकृत दस्तावेज बैयनाम 08.07.2024 अंतरित कर कब्जा भूमि मय पानी सुपुर्द किया, जिस पर तब से वर्तमान तक बतौर सद्भावी केता मिन अप्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है और मिन अप्रार्थी को ही उक्त कयशुद्वा भूमि पर बतौर सद्भावी केता खातेदारी हक–हकूक व अधिकार प्राप्त हैं। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से इस भूमि के अलावा अन्य भूमियों भी है। माननीय न्यायालय को गुमराह कर वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये प्रकरण माननीय न्यायालय पेश किया है। इस प्रक[illegible] प्रार्थी कतेई सद्भावी नहीं है ना ही क्लीनहेण्ड से न्यायालय में आया है इसलिये प्रार्थी का मूल वाद [illegible]रस्ती के होने से प्रार्थना प्रथम दृष्टया ही काबिल चलने के है। प्रार्थी सद्[illegible] नही [illegible] उसने प्रकरण मिथ्या वा आधारहीन तथ्यों पर मिन अप्रार्थी को नाहक हेरान परेशा[illegible] व नुकसान पहुचाने के आशय से पेश किया है जो काबिल निरस्ती के है और [illegible] अप्रार्थी प्रार्थी से विशेष हर्जाना कम से कम 10 हजार रूपये पाने का अधिकारी है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मौजूदा स्तर पर मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया ज[illegible] खर्चा जवाबदेही व विशेष हर्जाना मिन अप्रार्थी को प्रार्थी से दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:05:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

3. बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जिसमें अप्रार्थी मूलवाद के निर्णय तक बैय करने बाज व ममनु रहें तब तक रकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया विवादित भूमि अप्रार्थी का कब्जा है। अब कोई इस न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त भूमि में कोइ हक व अधिकार प्रार्थी को नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया है।

4. बहस पक्षकारान के अधिवक्तगण का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकारों का अंतिम रूप से निस्तारण वाद में साक्ष्य के द्वारा होगा। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से 3 घटक प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बाबत विचार किया जाना हैं। यदि दौराने दावा भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरित विक्रय अथवा खुर्द–बुर्द कर दिया जाता है तो दावा प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा तथा पक्षकारान के मध्य अनावश्य रूप से विवाद बढेगा तथा वादकरण को बढावा मिलेगां। और विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे अप्रार्थीगण के नाम से है। जिसका फायदा उठाकर उक्त भूमि बेचान किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण का न होकर प्रार्थीगण को होगा। भूमि का बेचान होने पर अनावश्यक रूप से विवाद बढेगा। विवादित भूमि अप्रार्थीगण के द्वारा बेचान कर दी जाती है तो इसे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को न होकर प्रार्थी को होगी जिसका ना पूरा होने वाला नुकसान की भरपाई मुद्राओ में नहीं आकी जा सकेगी। तथा ऐसे में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष प्रतीत होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

5. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वाके वाके चक 12 एस. ए.डी. तहसील रायसिंहनगर के खाता नं. 16/13 पं.न. 188/340 मु.नं. 36 के कि.नं. 1 ता 25 कुल 6.325 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि को किसी अन्य को रहन बैय करने व अन्य किसी भी तरीके से उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने से बाज व ममनू रहे। ना किसी प्रकार से रहन बैय हंस्तारितना करें तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व ऐसा कोई कृत्य ना करें जिसे प्रार्थी को नुकसान होता हो। दिनांक 22.07.2024 को जारी अस्थाइ निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता हैं। पत्रावली निर्णित होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:05:52 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner